

शिक्षा संस्थानों की हॉस्टल फीस पर जीएसटी नहीं

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि शिक्षा संस्थानों की हॉस्टल फीस पर कोई टैक्स नहीं है। इन पर पहले भी टैक्स नहीं था और जीएसटी में भी नहीं लगेगा। मीडिया में खबरें आई थीं कि हॉस्टल फीस पर 18% जीएसटी लगेगा। इसी के बाद मंत्रालय के अधीन काम करने वाले सीबीईसी ने यह सफाई दी है। इसमें यह भी कहा गया है कि संस्थान की तरफ से छात्र-छात्राओं, फैकल्टी और

कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाएं टैक्स से बाहर हैं। यहां शिक्षा संस्थान से मतलब हायर सेकंडरी स्कूल तक से है। वोकेशनल कोर्स कराने वाले संस्थानों पर भी यह लागू होगा।

एक और बयान में सीबीईसी ने इस बात को गलत बताया है कि जीएसटी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की सेवाएं महंगी हो जाएंगी। इसने कहा है कि आरडब्लू में प्रति मंबर प्रति माह चार्ज 5,000 रु. तक है तो उसकी सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगेगा।

छूट प्राप्त वस्तुओं के आयात-निर्यात के लिए जीएसटीआईएन जरूरी नहीं

सीमा शुल्क विभाग का कहना है कि जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं के आयातकों व निर्यातकों को जीएसटी पंजीकरण संख्या जीएसटीआईएन लेना जरूरी नहीं है। उनकी निर्यात-आयात खेप को पैन संख्या के आधार पर ही मंजूरी दी जा सकती है। विभाग ने कुछ मीडिया रिपोर्टों बीच यह स्पष्टीकरण जारी किया है। नियमों के इंतजार के चलते कुछ खेपों को आगे बढ़ाने में बंदरगाहों पर देरी हो रही है। सीमा शुल्क विभाग के महाराष्ट्र प्रकोष्ठ ने इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है।